

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/93

पत्र सं. 831-E/6 CPC/Com. in lieu of holi/08/E-IV

दिनांक 15/04/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(नानक सूची के अनुसार)

विषय: - Grant of Compensation in lieu of holidays to Non-gazetted RPF/RPSF personnel for attendance on gazetted holidays - Implementation of VI CPC's recommendation

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)I-2008/ALL/RPF/2 दिनांक 26/3/2009 (आर.बी.ई.सं.57/09) क्र.सं. पी.सी.-VI No.93 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02/01/2009(आर.बी.ई.सं.1/09) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/66 के अन्तर्गत भेजी जा चुकी है।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की प्रावती अवश्य भेजें।

सलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, अ0भ0अ0वि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसत लेन नई दिल्ली।



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी सी-VI सं. 93
आरबी ई सं. 57/09

नई दिल्ली, दिनांक 26.03.2009

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एएलएल/आरपीएफ/2

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: अराजपत्रित रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कार्मिकों को राजपत्रित अवकाशों पर उपस्थिति हेतु अवकाशों के स्थान पर प्रतिपूर्ति प्रदान करना - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना।

संदर्भ: बोर्ड का 02.01.2009 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एएलएल/आरपीएफ/2

शुद्धिपत्र

संदर्भाधीन बोर्ड के पत्र के तहत पीसी-VI सं. को असावधानी से 01/09 दिया गया था। यह संख्या 66 पढ़ी जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

— 121

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था. (वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एएलएल/आरपीएफ/2

नई दिल्ली, दिनांक 26.03.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रमुख निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

15/11
R-333
11/11

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

PC-VI No. 93
RBE No. 57 /09

No. E(P&A)-2008/ALL/RPF/2

New Delhi, dated 26-03-09.

The General Managers
All Indian Railways/PUs etc.

Subject: Grant of Compensation in lieu of holidays to Non-gazetted
RPF/RPSF personnel for attendance on gazetted holidays -
Implementation of VI CPC's recommendation.

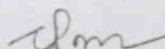
Ref : Board's letter No. E(P&A)-2008/ALL/RPF/2 dated 2.1.09.

CORRIGENDUM

Vide Board's letter under reference PC -VI No. was inadvertently given as
01/09. This number may be read as 66.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of
Railways.

Please acknowledge receipt.

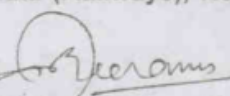

(Chander Parkash)
Jt. Director Estt.(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)-2008/ ALL /RPF/2

New Delhi, dated 26-03-09.

Copy to:

1. The Principal Director of Audit, All Indian Railways.
2. The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.
222 Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.

No. E(P&A)-2008/ ALL /RPF/2.

New Delhi, dated 26-03-09.

Copy forwarded to:-

- 1) FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
- 2) The General Manager and FA&CAO, Metro Railway, Kolkatta.

Contn. ...2/-